Education for Marginalized Group

सीमान्त समूह के लिए शिक्षा

ARYAN | Page No. | Date / /

स्त्री शिक्षा

Women's Education

महर्षि दयानन्द ने स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए कहा है कि राष्ट्र, समाज, प्रशासन तथा परिवार के क्रिया-कलापों को तब तक उचित ढंग से नहीं किये जा सकते जब तक कि स्त्रियों को शिक्षा न मिले। यदि समाज में स्त्रियां शिक्षित नहीं होंगी, तब परिवार में सुख-शांति, बच्चों का उचित पालन-पोषण नहीं हो सकेगा और छात्राओं को विद्यालय के लिए महिला शिक्षिकाएँ भी उपलब्ध नहीं होंगी। इसलिए स्त्रियों का शिक्षित होना अनिवार्य है।

स्त्री शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को निम्नलिखित शीर्षकों से स्पष्ट किया जा सकता है -

1. पारिवारिक दृष्टि से स्त्री शिक्षा का महत्व

2. सामाजिक दृष्टि से स्त्री शिक्षा का महत्व

आर्थिक दृष्टि से स्त्री शिक्षा का महत्व।
राजनीतिक दृष्टि से स्त्री शिक्षा का महत्व।

स्त्री शिक्षा के उद्देश्य (Aims and objectives of women Education)

स्त्रियों में स्त्रियोचित गुणों का विकास करना :- हर स्त्री या पुरुष के अन्दर कुछ-ना कुछ गुण होते है, इन गुणो को जानकर उनके गुणों को विकसित करने का मौका देना चाहिए।

स्त्रियों मे चारित्रिक और नैतिक गुणों का विकास करना :- उन्हे अपने चारित्रिक एवं नैतिक गुणो को विकसित करने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करे ताकि वो अपने इन गुणो का विकास कर सके।

स्त्रियों में संस्कृति का रक्षक व प्रसारक बनने की क्षमता का विकास करना :- अपने समाज मे उन्हे उचित अवसर देकर संस्कृति का रक्षक एवं प्रसारक बना सकते है, क्योंकि स्त्री की उचित शिक्षा

से ही अपने संस्कृति को प्रदर्शित कर लोगो को ~~शिक्षक~~ स्वागत करा सकती है।

4. स्त्रियों को योग्य माता और कुशल गृहिणी बनने के लिए तैयार करना - एक शिक्षित महिला से अच्छे परिवार का निर्माण होता है, अतः एक परिवार में योग्य माता एवं कुशल गृहिणी ही समाज निर्माण में अहम भूमिका निभा सकती है।

5. स्त्रियों को व्यावसायिक एवं जीविकोपार्जन के कार्यों में दक्ष बनाना :- उचित शिक्षा से ही वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती है, और वह एक अच्छी व्यवसाय को आगे बढ़ा सकती है और आत्मनिर्भर बन सकती हैं।

6. स्त्रियों में आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास करना :- अच्छी शिक्षा से ही एक आदर्श नागरिक के फर्ज एवं समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाहण कर सकते है।

7. स्त्रियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना :- स्त्रियों के व्यक्तित्व का विकास

करके आत्म निर्भर बनाया जा सकता है, जिससे वह अपने जीवन के में सर्वांगीण विकास कर सकें।

स्त्रियां और संवैधानिक प्रावधान (Women and Constitutional Provisions)

स्त्रियों की दशा को सुधारने, लिंग भेद को समाप्त करने और उनको शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए भारत के संविधान में जो प्रावधान किये गए हैं; और जो कानून बनाये गए हैं, वे निम्न हैं -

- अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है, अर्थात स्त्री - पुरुष सभी को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से कानूनों का संरक्षण प्राप्त होगा।

- अनुच्छेद 15 में लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, अर्थात धर्म, वंश, लिंग जाति या निवास स्थान के आधार पर जीवन के के किसी भी क्षेत्र में स्त्रियों को भी पुरुष के समान अधिकार प्राप्त होंगे।

- अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सरकारी नौकरियां प्राप्त करने का अधिकार सभी नागरिकों चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, समान रूप से प्राप्त होगा।

- अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष समान रूप से आजीविका के अवसर प्राप्त होंगे।

- अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य कार्य तथा प्रसूति सहायता के लिए न्यायोचित एवं मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने का प्रयत्न करेगा।

- अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रत्येक श्रम जीवी को इतना वेतन मिल सके कि वह अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सके।

- घरेलू हिंसा अधिनियम २००५ - महिलाओं की सुरक्षा और घरेलू हिंसा को रोकने के लिए यह अधिनियम लाया गया है।